न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 10/2023

उनवान

1–6 रूपचन्द, ईश्वर, मन्ना, सीता, सीमा, सोहन पिता रामलाल धाकड़ निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– रामकिशन पिता कल्याण धाकड़ निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा
2–3 कृष्णगोपाल, सांवरा पिता भैरू धाकड़ निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा
4–5 रामजस, शंकर पिता लादू धाकड़ निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा
6– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री योगेन्द्र सिंह भाटी
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **20.06.2023**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **ढाणी भवसागर पटवार हल्का डाबला कचरा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 426 रकबा 0.69 है0** कुल किता **1** रकबा **0.69** हैक्टेयर के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 22.02.2023 को **विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 6** के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए। किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण में दिनांक 29.05.2023 को अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भाटी द्वारा प्रार्थीगण की ओर से अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया एवं विपक्षी सं0 01 की तलबी हेतु प्रोसेस सम्मन प्रस्तुत किया। विपक्षी सं0 01 की तलबी की गयी दिनांक 20.0.2023 को विपक्षी सं0 01 स्वयं उपस्थित हुआ एवं पत्थरगढी कराये जाने में अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। विपक्षीगण सं0 2 लगायत 6 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम ढाणी भवसागर पटवार हल्का डाबला कचरा संवत 2074 से 2077** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **ढाणी भवसागर** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् किता **1 रकबा 0.69 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **20.06.2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा